–छियत्तर–

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या क0नि0–5–2368 / 11–2005–500(94)–2004
लखनऊ दिनांक 10 नवम्बर, 2005
अधिसूचना
आदेश

प0आ0–907

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, द्वारा रिलायंस एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 2 की उपधारा (28) के अर्थान्तर्गत एक विद्युत उत्पादक कम्पनी है और जो स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट में यथापरिभाषित गैस आधारित विद्युत केन्द्र की स्थापना हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के अधीन कम्पनी निबनध्क कार्यालय, महाराष्ट्र, मुम्बई में संख्या 11–84657, सन् 2004 पर पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय रिलायंस एनर्जी सेन्टर, सान्ताक्रूज (ईस्ट) मुम्बई–400055 में स्थित है, के पक्ष में उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन निष्पादित तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद में स्थित भूमि की हस्तान्तरण लिखतों पर, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से राज्य सरकार द्वारा प्रभार्य और देय साठ प्रतिशत स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं।

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट का तात्पर्य राज्य सरकार और रिलायंस एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के मध्य किये गये किसी करार के दस्तावेज से है, जो कार्यालय उप निबन्धक, द्वितीय, सदर, लखनऊ में पुस्तक संख्या–चार, खण्ड 196 में पृष्ठ 307 / 364, संख्या 180 पर दिनांक 16.6.2004 को पंजीकृत है।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
अतुल चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. Ka.Ni.-5-2368/XI-2005-500(94)/2004, dated November 10, 2005 for general information:

No. Ka.Ni.-5-2368/XI-2005-500 (94)-2004

Lucknow, Dated November 10, 2005

Notification

Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, sixty per cent stamp duty chargeable and payable by the State Government on instruments of conveyance of land situated in Tehsil Hapur, district Ghaziabad under clause (a) of Article 23 of Schedule 1-B of the aforesaid Act

executed by a Special Secretary in the Department of Energy, Government of Uttar Pradesh in favour of Reliance Energy Generation Limited, a Generating Company within the meaning of sub-section (28) of section 2 of the Electricity Act, 2003 (Act no. 36 of 2003) and registered in the office of Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai at no.11-84657 year 2004 under the Companies Act, 1956 (Act no. 1 of 1956) having its registered office at Reliance Energy Centre, Santacruz (East) Mumbai-400055 for setting up a gas based power station as defined in the State Support Agreement.

For the purpose of this notification, the State Support Agreement means a document of an agreement entered into between the State Government and Reliance Energy Generation Limited, registered in the office of Sub-Registrar, II, Sadar, Lucknow in Book no. IV, Volume 196 at pages 307/364 at no. 180 on 16.6.2004.

By order,
Sd/-Illegible
ATUL CHATURVEDI,
Pramukh Sachiv.